माध्यस्थम विधि

प्रश्न 1 मध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत कार्यवाही सम्बंध में दिये गये उपबन्धों कि विवेचना किजिये

उत्तर- १**धारा 2 उपधारा (2), विस्तार (Scope), माध्यस्थम् का स्थान**-

माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम की पहली धारा में यह उपबन्धित कर दिया गया है कि इसका विस्तार पूरे भारतवर्ष में है, किन्तु धारा 2 (2) में अधिनियम के प्रथम भाग के प्रावधानों को लागू किये जाने का क्षेत्र विस्तार इंगित किया गया है। इस अधिनियम ने घरेलू माध्यस्थम् और विदेशी माध्यस्थम् की विधि को समेकित कर दिया है। जिस प्रावधान और प्रक्रिया का उपबन्ध अधिनियम के प्रथम भाग में किया गया है वह घरेलू माध्यस्थमों के लिये लागू होगा। प्रकारान्तर से अधिनियम का यह भाग उन माध्यस्थमों पर लागू नहीं होगा जिनका स्थान भारत के बाहर है। कतिपय विदेशी पंचाटों के प्रवर्तन का प्रावधान इस अधिनियम के भाग- II में अलग से किया गया है। इस प्रकार देशी और विदेशी पंचाटों की परिभाषा , परिधि और प्रवर्तन भिन्न-भिन्न तरीके से किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि द्वितीय भाग का प्रथम अध्याय उन पंचाटों को व्यवहृत करता है जो न्यूयार्क अभिसमय द्वारा दिये गये हैं और दूसरा अध्याय जिनेवा अभिसमय द्वारा प्रदत्त पंचाटों के प्रवर्तन को प्रस्तावित करता है। उच्चतम न्यायालय का यह विचार है कि धारा 2 (2) के उपबन्ध का विधायी आशय यह है कि भारत के बाहर सम्पन्न होने वाले अन्तर्राष्ट्रीयवाणिज्यिकमाध्यस्थम् के मामले में भी अधिनियम के भाग I के उपबन्ध विपरीत करार के अभाव में लागू होंगे।

धारा 2 उपधारा (3), अन्य विधियों द्वारा प्रतिबन्धितमाध्यस्थम् -धारा 2 की उपधारा (3) में यह प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम का यह भाग वहां लागू नहीं किया जा सकेगा जहां किसी विशिष्ट विधि द्वारा कतिपय विवादों को माध्यस्थम् की परिधि से बाहर रखा गया है। अर्थात् विशिष्ट विधियों के मामले केवल न्यायालय द्वारा निपटाये जायेंगे। उन मामलों को माध्यस्थम् को नहीं सौंपा जायेगा। दूसरे शब्दों

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

माध्यस्थम विधि

में इस उपधारा का निर्देश यह है कि अधिनियम का यह भाग उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां अन्य विधियों के द्वारा माध्यस्थम् की प्रक्रिया को अपवर्जित कर दिया गया है। विशिष्ट अधिकारी के मामलों में विधि द्वारा न्यायालयीन क्षेत्राधिकार विनिश्चित किया गया हो तो उन मामलों में पक्षकारमाध्यस्थम् प्रक्रिया का अनुसरण नहीं कर सकते। यह प्रसंग उसी प्रकार है जिस प्रकार अपराध प्रक्रिया संहिता में जिन मामलों में सुलह (compromise) योग्य अधिकारिता न हो तो उसके पक्षकार सुलह द्वारा उस मामले में अपराध मुक्ति नहीं पा सकते। इस प्रकार के विशिष्ट मामलों का उदाहरण इस प्रकार है

(i) दिवालियापन की कार्यवाही,

(ii) प्रोबेट की कार्यवाही या (वसीयत निर्धारण),

(iii) संरक्षक की नियुक्ति के मामले,

(iv) औद्योगिक विवाद के मामले,

(v) विवाह विच्छेद आदि के मामले,

(vi) गैर-सुलह योग्य आपराधिक मामले,

(vii) विदेश से अचल सम्पत्ति के स्वत्व के मामले आदि।

जो मामले लोकाधिकार के होते हैं या जो लोकबन्धी (in-rem) होते हैं उनको दो पक्षकारमाध्यस्थम् द्वारा निपटारा करने के लिये सक्षम नहीं है। यदि साझेदारी के विघटन का मामला है तो उसका भी न्यायिक निस्तारण किया जायेगा न कि माध्यस्थम् द्वारा 2 जिन मामलों को माध्यस्थम् योग्य नहीं माना जाता है उसके सम्बन्ध में विधायी विवेक से न्यायालयों की संज्ञानताविनिश्चित कर दी जाती है।

एस० डब्ल्यू० पलनिटकर एवं अन्य बनाम **बिहार राज्य एवं अन्य** के वाद में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया है कि करार में विवादों के निपटान हेतु माध्यस्थम् खण्ड होने मात्र से अभियुक्त के विरुद्ध दण्ड संहिता की धारा 406/420 के अधीन

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

अपराध की कार्यवाही को नहीं रोका जा सकता , यदि प्रथम दृष्टया आपराधिक मामला परिलक्षित होता हो। इसी प्रकार **त्रिशुल केमिकल इण्डस्ट्रीज** बनाम **राजेशअग्रवाल**के वाद में विचार करते हुये उच्चतम न्यायालय ने यह सम्प्रेक्षित किया है कि माध्यस्थम् करार के प्रसंग सापराधिक दायित्व के मामले निवारित नहीं किये जा सकते अर्थात् दीवानी मामले की भांति आपराधिक कृत्य से सम्बन्धित दण्ड का निवारण शमनीय न होने की दशा में माध्यस्थम् करार द्वारा निपटाया नहीं जा सकता।

धारा 2 (4) सांविधिकमाध्यस्थम् में विस्तार -इस प्रावधान के द्वारा सांविधिकमाध्यस्थम् की मान्यता का सन्दर्भ दिया गया है। यदि किसी अन्य संविधि के अन्तर्गतमाध्यस्थम् द्वारा विवाद निस्तारण का उपबन्ध किया गया है तो वहां भी इस अधिनियम के इस भाग के प्रावधान लागू होंगे। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि घरेलू माध्यस्थम् के इन प्रावधानों को इस उपबन्धित (सांविधिक) माध्यस्थम् की कार्यवाही में भी अनुसरण करना होगा। इस प्रकार इस भाग की सार्वभौमिकता को अंगीकृत किया गया है। इसी प्रकार की व्यवस्था 1940 वाले पुराने अधिनियम की धारा 46 में भी गयी थी। इसका उद्देश्य यही है कि सभी सांविधिकमाध्यस्थमों (statutory arbitrations) में भी इस भाग के प्रावधानों को लागू समझा जायेगा। किन्तु इस व्यवस्था में चार अपवादों को भी अन्तर्निहित किया गया है। अर्थात् निम्न परिस्थितियों को छोड़कर ही इस अधिनियम का विस्तार समझा जायेगा

(i) धारा 40 (1)

(ii) धारा 41

(iii) धारा 43 तथा .

(iv) इस अधिनियम के विसंगति वाले प्रावधान।

आगे चलकर यह विदित होगा कि धारा 40 (1) में मृतक पक्षकार थे. उत्तराधिकारी के पक्ष या विरुद्ध माध्यस्थम् करार का संचालन वैध माना जायेगा। धारा 41 दिवालिया के

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

मामलों का तथा धारा 43 मर्यादा अधिनियम के सम्बन्ध में विधि अधिनियमित करती है।

सांविधिकमाध्यस्थम् युक्त अधिनियमों के उदाहरण

(क) सहकारी समिति अधिनियम,

(ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

(ग) प्रत्याभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम,

(घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 और

(ङ) इलेक्ट्रिसिटी अधिनियम आदि।

किसी भी सांविधिकमाध्यस्थम् का इस अधिनियम की धारा 2 (4) के साथ सहसम्बन्ध स्थापित किया गया है। अर्थात् विशिष्ट अधिनियमों में भी माध्यस्थम् सम्बन्धी प्रक्रिया के संचालन में इस अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे जब तक किवे स्पष्टतः असंगत न हों।

सांविधिकमाध्यस्थम् (Statutory Arbitrator) सदैव किसी संविधि या statute के द्वारा नियुक्त होते हैं ; अतः उनकी अधिकारिता और कार्यप्रणाली भी उसी संविधि के अनुरूप अपनायी जायेगी। जहां विशिष्ट संविधि के प्रावधानों में कमी होगी वहां इस अधिनियम के इस भाग के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग सांविधिक मध्यस्थ भी कर सकते हैं।

सांविधिक मध्यस्थ और पक्षकारों द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के मध्य अन्तर

यह समझ लेना आवश्यक है कि माध्यस्थम् विधि में मूलतः मध्यस्थों की नियुक्ति पक्षकारों द्वारा ही की जाती है और उनकी अधिकारिता एवं अपनायी जाने वाली प्रक्रिया भी पक्षकारों के द्वारा निर्धारित की जाती है। किन्तु सांविधिक मध्यस्थ किसी

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

संविधि के प्रावधान द्वारा निर्मित किया जाता है तथा उसकी अधिकारिता भी उसी संविधि के द्वारा प्रावधानित की जाती है।

प्राइवेट पक्षकारों के करार द्वारा नियुक्त किये गये मध्यस्थ के मामले में सामान्यत: उच्च न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण या प्रतिषेध का रिट जारी नहीं किया जा सकता किन्तु जहां सांविधिक मध्यस्थ सम्बन्धित संविधि के प्रावधान से विपरीत अधिकारों का प्रयोग करेगा वहां उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है।

असंगत प्रावधान (Inconsistent Provisions)

धारा 2 (4) का विस्तार सामान्यतया अन्य सांविधिक मामलों में पूरक के रूप में किया गया है। सामान्यतः उस संविधि में प्रत्येक पहलू को उपबन्धित करके आलोकित किया जा सकता है इसलिये उन प्रावधानों से माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम के टकराव या विसंगति की दशा में यह अधिनियम विस्तारित नहीं किया जायेगा। उदाहरण के लिये इस अधिनियम के पूर्ववर्ती माध्यस्थम् अधिनियम , 1940 की धारा 14, 17 और 33 को उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम , 1960 की धारा 98 एवं धारा 111 के प्रावधान से असंगत होने के कारण न्यायालय ने सम्प्रेक्षित किया कि माध्यस्थम् विधि के प्रावधानों के अनुसार रजिस्ट्रार का दिया गया पंचाट निरस्त नहीं किया जायेगा।

एक मामले में माध्यस्थम् करार द्वारा यह विनिश्चय किया गया कि माध्यस्थम् निर्णयों में सहकारी समिति अधिनियम के नियमों के अनुसार माध्यस्थम् कराया जायेगा। यह सांविधिकमाध्यस्थम् का स्वरूप नहीं था। रजिस्ट्रार के द्वारा स्वयं मामले का निर्णय न करके पक्षकारों द्वारा नियुक्त मध्यस्थ को सन्दर्भित करना वैध माना गया।

धारा 2 उपधारा (5)-अधिनियम के इस भाग के अन्य माध्यस्थमों पर लागू होना -इस उपधारा के पूर्व अधिनियम का विस्तार अन्य अधिनियमों में प्रदत्त माध्यस्थमों के सन्दर्भ में विस्तारित करने का संकेत किया गया है। उस प्रावधान उपधारा (2) (4) के

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

अतिरिक्त पुनः अवशिष्ट मामलों में भी इसको लागू किया जा सकेगा। वे अवशिष्ट मामले ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें माध्यस्थम् करार भारतवर्ष और किसी दूसरे देश के विधि के अन्तर्गतकिये गये हों। यद्यपि विदेशी पंचाटों के सम्बन्ध में अधिनियम का दूसरा भाग विशेष रूप से उपबन्धित है फिर भी घरेलू माध्यस्थम् से जुड़े हुये कतिपय अवशिष्ट मामलों में इसकी प्रवर्तनीयता प्रस्तावित की गयी है।

सन्दर्भ-वस्तुत: जिस प्रकार धारा 2 (4), 1940 वाले पुराने (निरसित) अधिनियम की धारा 46 के अनुरूप बनाया गया है उसी प्रकार यह धारा 2 (5) भी पुराने माध्यस्थम् अधिनियम की धारा 47 का प्रतिबिम्ब है। अन्तर केवल यह है कि पुरानी धारा 47 के परन्तुक को इसमें से (drop) निकाल दिया गया है। "उपधारा (4) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुये" उपधारा (5) के प्रावधानों को लागू किया गया है। इसका अर्थ यह है कि उपधारा (5) उपधारा (4) द्वारा नियन्त्रित होगी। इसीलिये अन्यत्र विपरीत प्रावधान होने पर उपधारा (5) का प्रवर्तन बाधित होगा। इसी बात का पुन: उपधारा (5) में उल्लेख किया गया है कि उपधारा केवल वहां लागू होगी जहां किसी विधि द्वारा प्रवृत्त किसी करार में अन्यथा उपबन्ध न हों।

धारा 2 की उपधारा (6) का प्रावधान आदर्श विधि (Model Law) के अनुच्छेद 2 के पैरा (ग) के समानान्तर अधिनियमित किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि पक्षकारों की सन्तुष्टि हेतु विवाद सुलझाने के लिये माध्यस्थम् की प्रक्रिया में सुगमतापूर्वक अधिक से अधिक न्यायोचित निर्णय निकल सके। किसी तीसरे पक्षकार या संस्था की सहायता लेने के लिये पुराने निरसित 1940 वाले माध्यस्थम् अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं था। -

धारा 2 की उपधारा (7): घरेलू पंचाट या देशी पंचाट (Domestic award)-- पंचाट की परिभाषा एवं भेद का विवेचन पहले ही किया जा चुका है। इस उपधारा में मात्र यह उल्लेख किया गया है कि अधिनियम के इस भाग में जो पंचाट (award) दिया जायेगा

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

उसे देशी पंचाट या घरेलू पंचाट कहा जायेगा। इस व्याख्या की आवश्यकता इसलिये पड़ गयी क्योंकि अब वर्तमान 1996 वाले माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम में विदेशी पंचाट के प्रावधानों को भी व्यवहृत किया गया है। पुराने अधिनियम में विदेशी पंचाट के प्रावधान माध्यस्थम् अधिनियम में अन्तर्निहित नहीं थे। न घरेलू या देशी पंचाट की कोई पृथक् परिभाषा नहीं दी गयी है। केवल इस उपधारा में इंगित किया गया है कि अधिनियम के प्रथम भाग के प्रावधानों के अधीन जो पंचाट दिये जायेंगे उन्हें घरेलू पंचाट कहा जायेगा। विदेशी पंचाट (foreign award) के विषय में यह कहा गया है कि विदेशी पंचाट वह पंचाट है जिसका एक पक्षकार विदेशी नागरिक हो या उसकी विषयवस्तु अन्तर्राष्ट्रीय प्रकृति की जो या वह पंचाट विदेश में दिया गया हो।

- जहां दो भारतीय पक्षकारन्यूयार्क अभिसमय के अधीन माध्यस्थम् करार करते हैं तो जो पंचाट दिया जायेगा वह विदेशी पंचाट होगा न कि घरेलू पंचाट।

धारा 2 (8) माध्यस्थम् नियमों पर सहमत होने की पक्षकारों की स्वतन्त्रता (Parties freedom to agree upon Arbitration Rules)-माध्यस्थम् द्वारा विवाद निस्तारण में पक्षकारों को पूरी स्वतन्त्रता होती है कि निर्णायक और निर्णय की प्रक्रिया को अपनी इच्छानुसार निर्धारित कर लें। इसकी स्वतन्त्रता और स्वायत्तता उन्हें प्राप्त है। इसी परिप्रेक्ष्य में इस अधिनियम की धारा 2 (8) यह कहती है कि जहां इस अधिनियम के भाग एक में पक्षकारों ने किसी करार पर सहमति की है तो यह मान लिया जायेगा कि उस करार से सम्बन्धित नियमों (Rules) की भी प्रतिबद्धता पक्षकारों पर होगी।

को इस प्रकार इस उपधारा में इस विधिक व्यवस्था को इंगित किया गया है कि पक्षकार या तो स्वनिर्मित करार में सभी नियमों का उल्लेख करें या किसी सन्दर्भित करार से अपने को आबद्ध करें , ऐसा करने पर उसमें सन्निहित माध्यस्थम् के नियम भी उन पक्षकारों पर लागू होंगे।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

कभी-कभी माध्यस्थम् करार द्वारा स्थापित प्रक्रिया में किसी संस्था के मुद्रित प्रक्रिया (printed case of procedure of an institution) को ही पक्षकार लोग स्वीकार कर लेते हैं, उस स्थिति में उस प्रारूप के सन्निहित नियम भी पक्षकारों पर लागू होंगे। यह उसी प्रकार की व्यवस्था है जैसा कि लांड्री के मानक प्रारूप संविदा (standard form of contract) की शर्तों से दोनों पक्ष आबद्ध माना जाता है।

धारा 2 (9) दावे में प्रतिदावा को सम्मिलित मानना (Claim includes counterchim)- जिस प्रकार दीवानी के मामले में वादी और प्रतिवादी न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष वाद पत्र

और प्रतिवाद पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं , उसी प्रकार माध्यस्थम् के पक्षकार मध्यस्थ के समक्ष अपनाअपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं। उस प्रस्तुति को दावा (claim) और बचाव (defence) कहा जाता है। इसका सन्दर्भ धारा 33 में किया गया है। धारा 23 यह इंगित करती है कि प्रथम पक्ष (दावेदार) जिसने माध्यस्थम् की कार्यवाही पारा किया है वह अपना पक्ष दावा के रूप में प्रस्तुत करता है। उसे यह भी अधिकार है कि अपनेकुछ आंशिक दावे को वह उठा भी सकता है , जिसका उल्लेख धारा 32 (2) (क) में मिलेगा। दूसरा पक्षकार अपने सफाई में जो अभिकथन करता है उसे बचाव या defence कहा जाता है। कभी-कभी दावा या claim के सन्दर्भ में दूसरे पक्षकार को भी कुछ मांगना रहता है तो उसके मांग को प्रतिदावा (counter-claim) कहा जाता

- धारा 2 (9) का यही संकेत है कि माध्यस्थम् की कार्यवाही में जहां दावा (claim) का अधिकार है वहां प्रतिदावा (counter-claim) का भी अधिकार होगा। अर्थात् अपना पंचाट देते समय मध्यस्थ उस पर भी विचार करेगा। दावा के साथ प्रतिदावा का , विचारण सामान्य और साम्या (दोनों) की विधियों में मान्य है।

लिखित संसूचनाओं की प्राप्ति-(1) जब तक पक्षकारों द्वारा अन्यथा करार नहीं किया जाता, तब तक

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

माध्यस्थम विधि

(क) एक लिखित संसूचना को प्राप्त किया गया समझा जायेगा, यदि उसको व्यक्तिगत तौर पर यासंबोधिती या कारोबार के उसके स्थान पर , आभ्यासिक निवास स्थान या डाक पते पर दिया जाताहै, और

(ख) यदि खण्ड (क) में निर्दिष्ट स्थानों में किसी को एक युक्तियुक्त पूर्ण जांच करने के पश्चात् नहीं पायाजाता , तो लिखित संसूचना को प्राप्त कर लिया गया समझा जायेगा, यदि इसको रजिस्ट्रीकृत पत्र द्वारा सम्बोधिती के कारोबार के अन्तिम ज्ञात स्थान, आभ्यासिक निवास स्थान या डाक पते पर भेजा जाता है या किसी दूसरे ऐसे माध्यम से भेजा जाता है जो इसको परिदत्त करने के लिये एक अभिलेख कीव्यवस्था करता है।

(2) संसूचना को उस दिन ज्ञात हो गया समझा जाता है जिस दिन इसको प्रदत्त किया जाता है।

(3) यह धारा किसी न्यायिक प्राधिकार की कार्यवाही की लिखित संसूचना के प्रति प्रवृत्त नहीं होती

अधिकरण में एक से अधिक सदस्य हों , तो सर्वसम्मति से प्रक्रियात्मक पहलू के निर्धारण करने की अधिकारिता पीठासीन अधिकारी को प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिये सम्पूर्ण सुनवाई के पश्चात्पंचाट का प्रारूप तैयार करने हेतु सम्मिलित रूप से पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार करने का निर्णय किया जा सकता है। जब पीठासीन अधिकारी इस प्रकार से प्रक्रिया निर्धारण के लिये अधिकृत हो जाता है , तो उसके बाद भी वह मामले की सुनवाई और साक्ष्य अकेले नहीं ले सकता है , क्योंकि माध्यस्थम् अधिकरण के सभी सदस्यों द्वारा संयुक्त सुनवाई करना माध्यस्थम् विधि का आधारभूत सिद्धान्त है। पंचाट की वैधता मध्यस्थों के सम्मिलित विचारण की प्रक्रिया पर आधारित होती है। मगन लाल गंगा राम राठौर बनाम रामा जी बोन्दार जी के वाद में यह अवधारित किया गया था कि माध्यस्थम् अधिकरण का विनिश्चय पुराने अधिनियम के धारा 10 (2) व 10 (3) में बहुमत दिया गया पंचाट वैध एवं बाध्यकारी

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

होगा, किन्तु न्यायालय ने यह भी सम्प्रेक्षित किया कि सभी मध्यस्थों को माध्यस्थम् की पूरी कार्यवाही में सम्मिलित होना चाहिये। इस मामले में सरपंच कन्हैया लाल माध्यस्थम् अधिकरण का एक सदस्य था जो अधिकरण के 10, 12 बैठकों में से केवल तीन बैठकों में सम्मिलित हुआ था, वह भी अनियमित रूप से और जब अन्तिम रूप से पंचाट तैयार किया जा रहा था तो वह उस समय इन्दौर चला गया था। उसने शेष सदस्यों द्वारा पंचाट तैयार करने के लिये कह दिया। इस प्रकार के उदासीन सदस्य की भूमिका युक्त पंचाट को वैध नहीं माना जा सकता। जहां पक्षकारों में इस प्रकार का करार किया गया हो कि वे पीठासीन अधिकारी के द्वारा प्रदत्त पंचाट को स्वीकार कर लेंगे , तो उस दशा में भी पीठासीन अधिकारी अल्पमत होने पर अन्य सदस्यों को उकसाकर बहुमत बनाने का प्रयास नहीं करेगा , क्योंकि यह प्रक्रियात्मक दोष समझा जायेगा।

परिनिर्धारण-(1) विवाद के तय किये जाने के लिये प्रोत्साहित करना एक माध्यस्थम् अधिकरण के लिए एक माध्यस्थम् करार के साथ बेमेल नहीं होता है और पक्षकारों के करार के साथ माध्यस्थम् अधिकरण चिंतन , सुलह या निपटान को प्रोत्साहन देने के लिये माध्यस्थम् कार्यवाही के दौरान किसी भी समय अन्यथा प्रक्रियाओं का भी प्रयोग कर सकता है।

(2) यदि माध्यस्थम् कार्यवाही के दौरान पक्षकार विवाद को तय करते हैं , तो माध्यस्थम् अधिकरण कार्यवाही को समाप्त कर देगा , यदि पक्षकारों द्वारा निवेदन किया जाय और माध्यस्थम् अधिकरण के द्वारा उस पर कोई आपत्ति नहीं की जाती , तो एक माध्यस्थम्पंचाट के प्ररूप में परिनिर्धारण अभिलेख शर्तों पर सहमति जाती।

(3) किये गये करार की शर्तों पर एक माध्यस्थम्पंचाट धारा 31 के अनुसार पारित किया जायेगा और वह कथन करेगा कि यह एक माध्यस्थम्पंचाट है।

(4) किये गये करार के शर्तों पर एक माध्यस्थम्पंचाट का स्तर एवं प्रभाव विवाद के सार के किसी अन्य माध्यस्थम्पंचाट के समरूप होगा।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

माध्यस्थम विधि

रूपरेखा

(1) परिनिर्धारण (समझौता)

(2) परिनिर्धारण करार

(3) परिनिर्धारण में माध्यस्थम्अधिकरण द्वारा आपत्ति।

(1) परिनिर्धारण (समझौता/Settlement)- माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम की धारा 30 UNCITRAL के आदर्श विधि के अनुच्छेद 30 पर आधारित है। इसके अन्तर्गतमाध्यस्थम् अधिकरण को अधिकृत किया गया है कि पक्षकारों के विवाद को उनके आपसी सहमति के आधार पर निर्णय करके पंचाट को तैयार करे। परिनिर्धारण का प्रसंग उपबन्धित करके माध्यस्थम्पंचाट को सन्तुलित , सार्थक एवं शीघ्र विवाद निस्तारण की अनुकल्पी व्यवस्था के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया। इसमें माध्यस्थम् की कार्यवाही पक्षकारों के लिये अत्यधिक तुष्टिकर होती है। सुलह और समझौता में भ्रम नहीं करना चाहिये। धारा 30 में वर्णित समझौता या परिनिर्धारण का स्वरूप इस अधिनियम के तृतीय भाग में उपबन्धित सुलह (Conciliation) में भिन्नता होती है। इसकी समीक्षा आगे की गयी है। जब माध्यस्थम् की कार्यवाही के दौरान पक्षकारगण अपने विवाद का निपटारा करने का मार्ग ढूढ़ लेते हैं, तो पक्षकारों द्वारविनिश्चित एवं परिनिर्धारित शर्त को पंचाट का आधार बना दिया जाता है। इस प्रकार के पंचाट का वही महत्व है , जो माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा स्वतन्त्र रूप से दिये गये पंचाट का होता है।

माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम की धारा 30 की चार उपधारायें हैं। प्रथम उपधारा में परिनिर्धारण को प्रोत्साहित करने तथा माध्यस्थम्पंचाट उस पर आधारित करने के लिये उपबन्धित किया गया है। "इस व्यवस्था की तुलना न्यायालयों के उस प्रक्रिया से की

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

जा सकती है , जिसमें आधुनिक न्यायालयों को अधिक से अधिक लोक अदालतों के गठन द्वारा वाद निस्तारण किया जाना चाहिये। " यह स्पष्ट है कि न्यायालय या निर्णायक विवाद के विसर्जन में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम होते हैं। जब पक्षकारों के आपसी रजामन्दी या सहमति से परिनिर्धारण द्वारा पंचाट तैयार किया जायेगा , तो उसे सम्मत शर्तों पर दिया गया पंचाट (Arbitral award on agreed terms) कहा जायेगा। इस प्रकार के सम्मत शर्तों को माध्यस्थम् करार के प्रतिकूल नहीं समझा जायेगा।

दूसरे उपधारा में यह प्रावधान किया गया है कि समझौता द्वारा विवाद का हल निकल जाने पर पक्षकार एवं माध्यस्थम् अधिकरण की कार्यवाहियों को समाप्त कर देंगे। ऐसा करने के लिये पक्षकारों के द्वारा अनुरोध किया जाना चाहिये तथा माध्यस्थम् कार्यवाही को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं होता। अधिकरण द्वारा परिनिर्धारण की शर्तों पर पंचाट को लेखबद्ध कर दिया जायेगा।

उपधारा (3) में यह उपबन्धित किया गया है कि परिनिर्धारण पर आधारित पंचाट को भी उसी प्रकार प्रारूपित किया जाना चाहिये जिस प्रकार किसी स्वतन्त्र रूप से दिये पंचाट को प्रारूपित किया जाता है। परिनिर्धाण पर आधारित सम्मत पंचाटपक्षकारों के स्वनिर्धारित शर्तों पर ही दिया जाता है , किन्तु उसके प्रमुख अंग इस अधिनियम की धारा 31 में वर्णित व्यवस्था के अनुरूप होना चाहिये। अन्तर केवल यह होगा कि अधिकरण को सकारण पंचाट देने की उपधारणा शिथिल हो जायेगी। इसीलियेपरिनिर्धारण पर आधारित पंचाट को सम्मतं शर्तों पर दिया गया पंचाट कहा जाता है।

परिनिर्धारण करार-धारा 30 में वर्णित परिनिर्धारण, पंचाट एवं अन्य परिनिर्धारण करार के मध्य अन्तर किया जा सकता है। जब माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा सहमत शर्तों पर पंचाट तैयार करके लिपिबद्ध करके इस अधिनियम की धारा 31 के अनुरूप

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

हस्ताक्षरित कर दिया जाता है तो इसे परिनिर्धारणपंचाट कहा जायेगा। परन्तु यदि सुलह द्वारा पक्षकारों ने अपने विवाद का परिनिर्धारण या समझौता कर लिया हो लेकिन उसे पंचाट के रूप में लिपिबद्ध किये जाने हेतु माध्यस्थों से अनुरोध न किया गया हो, तो उसे मात्र परिनिर्धारण करार (Settlement Agreement) माना जायेगा, जिसका प्रसंग इसी अधिनियम की धारा 73 में किया गया है। धारा 30 और धारा 73 के प्रावधान में अन्तर यह है कि धारा 30 में कार्यवाही माध्यस्थम् अधिकरण के समक्ष की जाती है और धारा 73 की कार्यवाही में परिनिर्धारणसुलहकर्ता द्वारा की जाती है (By conciliator)।

परिनिर्धारण में माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा आपत्ति -माध्यस्थम् अधिकरण की धारा 30 के उपधारा (1) के अनुसार परिनिर्धारण को प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है ताकि अधिकरण के समय की बचत हो और पक्षकारों में स्थायी समरसता का संचार हो। तथापि उपधारा (2) के अन्तर्गतपरिनिर्धारण के निवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत का विकल्प भी न्यायाधिकरण के विवेकाधीन प्रावधानित है। ऐसा इसलिये है ताकि परिनिर्धारण की परिधि माध्यस्थम् करार व निर्देशन के परिधि के भीतर हो। यदि परिनिर्धारण की शर्तों में माध्यस्थम् करार की शर्तों का उल्लंघन या अतिक्रमण होता है, तो उस दशा में अधिकरण द्वारा परिनिर्धारण पर आपत्ति किया जाना स्वाभाविक है। मध्यस्थों को प्रत्येक परिनिर्धारण की शर्तों पर पंचाट देने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता। जब कोई पक्षकारपरिनिर्धारण या समझौता पर आधारित पंचाट पाने का निवेदन करता हो, तो अधिकरण उसकी प्रासंगिकता एवं वैधता पर विचार करने के लिये पूर्णत: अधिकृत है)

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

माध्यस्थम विधि

प्रश्न २ मध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम १९९६ के अंतर्गत कार्यवाही संचालन सम्बंध में दिये गये उपबन्धों कि विवेचना किजिये

उत्तर २**माध्यस्थम् कार्यवाही का संचालन**-माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम के अध्याय 5 में माध्यस्थम् की कार्यवाही की प्रक्रिया के सन्दर्भ में प्रावधान किये गये हैं। इस अध्याय में धारा 18 से लेकर धारा 27 तक के उपबन्ध सम्मिलित हैं। इन उपबन्धों में पक्षकारों की सुनवाई के अपेक्षित अधिकारों एवं सुरक्षाओं को सहेजने का प्रयास किया गया है। माध्यस्थम् अधिकरण विवादित मामलों का निस्तारण करके न्यायालय के समान व समानान्तर न्याय प्रशासन में सहयोग करते हैं। इसलिये व्यवहार प्रक्रिया संहिता व साक्ष्य विधि की जटिलताओं के भ्रमर जाल में माध्यस्थम् की कार्यवाही को उलझनों से पृथक् रखा गया है। लेकिन न्याय प्रक्रिया की न्यूनतम मान्यताओं को अनुसरण करना माध्यस्थम् अधिकरणों के लिये भी आवश्यक समझा गया है। इसीलिये इस अध्याय की रूपरेखा में जिन सोपानों को सन्दर्भित किया गया है ,उनमें धारा 18 पक्षकारों के साथ समान व्यवहार , धारा 19 में व्यवहार प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों से मुक्ति , धारा 20 में माध्यस्थम् के स्थान धारा 21 में माध्यस्थम् कार्यवाही के प्रारम्भ की तिथि , धारा 22 में भाषा, धारा 23 में दावा व प्रतिरक्षा का विवरण , धारा 24 में सुनवायी तथा लिखित कार्यवाही , धारा 25 में एकपक्षीय कार्यवाही, धारा 26 में विशेषज्ञ की नियुक्ति और धारा 27 में साक्ष्य ग्रहण करने में न्यायालय की सहायता सम्बन्धी विषयों में मार्गदर्शन किया गया है। इस प्रकार न्यायालयीन कार्य की तुलना में माध्यस्थम् कार्यवाही का संचालन करने में

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

माध्यस्थम विधि

संक्षिप्तता के साथ न्याय प्रक्रिया के मूल मानदण्ड के प्रक्रिया का पालन किया गया है। अध्याय 5 समुचित एवं प्रभावी प्रक्रिया के ढांचे (Frame work) का निर्माण करता है।

पक्षकारों का समान व्यवहार (Equal Treatment of Parties)-माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम की धारा 18 आदर्श विधि के अनुच्छेद 18 के अनुरूप है। आदर्श विधि का मौलिक प्रारूप जो अनुच्छेद 19 (3)1 के आधार पर बनाया गया था उसमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया गया

था

(1) माध्यस्थम् के पक्षकार कार्यवाही के संचालन की प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिये स्वतन्त्र

(2) माध्यस्थम् करार में प्रक्रिया का उल्लेख न होने पर अधिकरण द्वारा समुचित ढंग से कार्यसंचालित किया जायेगा , अर्थात् माध्यस्थम् अधिकरण की अधिकारिता में स्वीकृत, सुसंगतएवं साक्ष्य के मूल्यांकन सम्बन्धी अधिकार सम्मिलित होंगे।

(3) ड्राफ्ट माडल के अन्तर्गत तीसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि माध्यस्थम् के प्रत्येक पक्षकार केसाथ समान व्यवहार होगा तथा दोनों पक्षकारों को अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिये पूर्ण अवसर प्रदान किया जायेगा। इसीलिये वर्तमान अधिनियम की धारा 18 स्पष्ट रूप से उल्लेख करती है कि पक्षकारों के साथ समानता का व्यवहार किया जायेगा व प्रत्येक पक्षकार को अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

Kustice) की अवहेलन के समक्ष भी सनप्रदान किया जाये। १९ क अधिकरण दाबकरण द्वारा

धारा 18 के प्रावधान में दो प्रमुख पहलू का उल्लेख किया गया है। पहला यह कि अधिकरण द्वारा दोनों पक्षकारों के साथ समान व्यवहार किया जाये और दूसरा पहलू यह है कि अधिकरण द्वारा प्रत्येक पक्षकार को अपने मामले को प्रस्तुत करने का पूर्ण

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

अवसर प्रदान किया जाये। इन दोनों विचारधाराओं का निष्कर्ष यह है कि माध्यस्थम् अधिकरण के समक्ष भी सुनवाई में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त (Principles of Natural Justice) की अवहेलना नहीं होनी चाहिये भले ही सिद्धान्त का उल्लेख नहीं किया गया है किन्तु धारा 18 में यह चेतावनी दी गयी है कि अधिकरण पक्षपातपूर्ण भावना से ग्रसित न हो तथा सुनवायी के अधिकार से किसी पक्षकार को वंचित न करे।

मध्यस्थों द्वारा सभी पक्षकारों के साथ समान व्यवहार ही आवश्यकता प्रतिपादित करते हुयेरसेल महोदय ने कहा है कि , "माध्यस्थम् का निर्देश स्वीकार करते ही मध्यस्थ वस्तुतः न्यायाधीश की भूमिका में आ जाते हैं अतः उन्हें पूरी निष्पक्षता से कार्य करना चाहिये तथा अपनी कार्यवाही में न्याय के सामान्य सिद्धान्त का अनुसरण करना चाहिये।"

उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति सव्यसाचीमुखर्जी एवं रंगनाथन की खण्डपीठ ने इण्टरनेशनल एयरपोर्ट, अथार्टी बनाम के० डी० बाली2 के मामले में विनिश्चित किया है कि "जैसे ही मध्यस्थ माध्यस्थम् प्रारम्भ करते हैं ; उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये जो उनके पक्षपाती तथा अनौचित्यपूर्ण प्रवृत्ति के द्योतक हों।" अर्थात् निर्णायक को प्रत्येक पक्षकार को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान करना चाहिये तथा अपनी भूमिका पूरी निष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षतापूर्वक निभानी चाहिये।

इस अध्याय की अगली धाराओं में सुनवायी की रूपरेखा को पृथक् रूप से इंगित किया गया है, जिससे स्थान, भाषा दावा, प्रतिरक्षा और विशेषज्ञ, साक्षी की व्यवस्थाओं पर प्रकाश डाला गया है। किन्तु धारा 18 के प्रावधान में न्याय प्रणाली के प्रमुख सिद्धान्त की आधारशिला को स्थापित किया गया है। यदि माध्यस्थम् न्याय के मुख्य मेरुदण्ड के सिद्धान्त की अवहेलना करेगा तो पक्षकार उसके पंचाट से बाह्य नहीं किये जा सकेंगे।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

माध्यस्थम विधि

/1. माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा अपनाये जाने वाले प्रक्रिया सम्बन्धी नियम- माध्यस्थम् अधिकरण पारम्परिक न्यायालयों की भाँति व्यवहार प्रक्रिया संहिता एवं साक्ष्य अधिनियम के नियमों से आबद्ध नहीं है। वस्तुत: माध्यस्थम् कार्यवाही एक अर्धन्यायिक (quasi-Judicial) संस्था के रूप में कार्य सम्पादन करती है। इसलिये माध्यस्थम् अधिकरण को सिविल प्रक्रिया संहिता एवं साक्ष्य अधिनियम के बन्धनों से मुक्त रखकर

औपचारिकताओं व जटिलताओं से दूर रखा गया है। इसीलिये प्रक्रिया विधि के कठोर नियमों से उन्मुक्ति का प्रावधान धारा 19 (1) में किया गया है। प्रत्येक न्यायिक एवं कल्प न्यायिक मामलों में प्रक्रिया के पहलू पर विशेष महत्व दिया गया है। एक ओर दीवानी के मामलों व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के जटिलतम प्रावधानों के अनुसरण किये जाने के कारण न्यायिक विलम्ब की समस्या पर टिप्पणियाँ की जाती हैं , वहीं दूसरी तरफ फौजदारी न्यायालय में 'दण्ड प्रक्रिया संहिता' भी सहआपराधिक मामलों के निर्णय में न्यायिक विलम्ब का कारण मानी जाती है। इसके फलस्वरूप न्यायाधिकरणों व विशेष न्यायालयों का गठन उत्तरोत्तर होता जा रहा है। इन न्यायाधिकरणों व विशिष्ट न्यायालयों को शीघ्र व समुचित न्याय हेतु न्यूनतम प्रक्रिया के अनुपालन द्वारा मामले को निपटाने का प्रयास किया जाता है। माध्यस्थम् अधिकरण भी इसी श्रेणी में माना जाता है, अतएव नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों को प्रक्रियात्मक विधि का मुख्य आधार बनाते हुयेपक्षकारों की सहमति द्वारा माध्यस्थम् की कार्यवाहियों में अपनाये जाने के लिये प्रोत्साहित किया गया है।

सहमति द्वारा प्रक्रिया का निर्धारण [धारा 19 (2)]-माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम की धारा 19 संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीयवाणिज्यिक विधि के आदर्श विधि (Model Law) के अनुच्छेद 19 के समान है। इसे चार उपधाराओं में विभक्त किया गया है , प्रथम उपधारा में दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की जटिलताओं से माध्यस्थम् अधिकरण की कार्यवाहियों को मुक्त रखा गया है। दूसरी

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

माध्यस्थम विधि

उपधारा में सहमति द्वारा पक्षकारों को प्रक्रिया विधि निर्धारित करने की स्वतन्त्रता दी गई है, तीसरी उपधारा में किसी सहमत प्रक्रिया के अभाव में अधिकरण द्वारा समुचित प्रक्रिया अपनाने की अधिकारिता माध्यस्थम् अधिकरण के विवेक पर छोड़ दिया गया है तथा चौथी उपधारा में साक्ष्य की ग्राह्यता एवं सुसंगत साक्ष्य निर्धारण को भी अधिकरण के विवेक में सम्मिलित किया गया है।

सहमति द्वारा प्रक्रिया निर्धारण की प्रधानता इसलिये दी गयी कि पूरा माध्यस्थम् का प्रादुर्भाव सहमति के करार द्वारा उद्भूत होता है। माध्यस्थम् करार द्वारा संस्थित निजी प्रक्रिया, इसलिये पक्षकों को यह स्वतन्त्रता है कि सहज प्रक्रिया का संव्यवहार करें और शीघ्र न्याय प्राप्त करें। माध्यस्थम् को करार द्वारा यह अधिकार दिया जा सकता है कि वह अपने व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर विवाद का निर्णय करें। यदि पक्षकारों की अभिव्यक्त इच्छा पर मध्यस्थों ने एक विशिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण किया है तो वाद के पक्षकार यह आक्षेप नहीं कर सकते कि अधिकरण द्वारा सम्पत्ति के मूल्य निर्धारण के लिये अपनाई गयी प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रही है। इंग्लैण्ड में तो व्यापारिक न्यायाधिकरणों के निर्णय में निर्णायकों को फैसला करते समय व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग करना समीचीन माना गया है।

ऐसे मामले जहाँ पक्षकार किसी संस्था द्वारा माध्यस्थम् कराने के लिये सहमति हुये हों तो माध्यस्थम् कार्यवाही उस संस्था द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार अपनायी जायेगी। इन नियमों को माध्यस्थम् करार का ही एक भाग माना जायेगा। उदाहरण के लिये, अगर पक्षकारों में विवादों को अन्तर्राष्ट्रीयचैम्बर ऑफ कामर्स को प्रेषित करने के लिये सहमति दी हो , तो यह माना जायेगा कि आई० सी० सी० के० नियमों को ही अपनाने की सहमति स्वीकार की गई है।

अधिकरण द्वारा प्रक्रिया का निर्धारण [धारा 19 (3)]-मध्यस्थ पक्षकारों की स्वेच्छा पर नियुक्त निर्णायक होता है। इसके प्रति आस्था व विश्वास की अवधारणा की जाती है। इसलिये माध्यस्थम् करार में प्रक्रिया की सहमति का उद्घोष न किये जाने पर

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

स्वनिर्मित प्रक्रिया द्वारा निर्णायक मामले का निर्णय कर सकता है। शर्त यह है कि उसके द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना नहीं की जानी चाहिये। इसीलियेमाध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम की धारा 19 (1) में इस प्रकार की स्वतन्त्रता का प्रावधान अधिकरण के विवेक पर छोड़ दिया गया है। धारा 19 (3)

साक्ष्य की ग्राह्यता और सुसंगति पर विचार [धारा 19 (4)]-माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा प्रक्रिया निर्धारण की जो अवधारणा उपधारा (3) में की गई है उसी के तारतम्य में उपधारा (4) यह भी अधिकार माध्यस्थम् अधिकरण को प्रदान करती है कि वह मामले की सुनवायी में किसी साक्ष्य को ग्राह्य अथवा अग्राह्य करने की भी शक्ति रखता है। किसी भी निर्णायक को साक्ष्य के आधार पर निर्णय देने की उपधारणा होती है, इसके निमित्त वह किसी भी साक्ष्य के तात्विक होने का , ग्राह्य एवं महत्वपूर्ण (materiality, relevance and weight of any evidence) होने का विनिश्चय स्वयं कर सकता है। उसे ही उसका मूल्यांकन स्वविवेक से करना है। अतः वह साक्ष्य के गुण-दोष और पूर्ण-अपूर्ण का मूल्यांकन स्वतः कर सकता है। इसके लिये वह स्वयं अपना नियम निर्धारित कर सकता है। माध्यस्थम् के समक्ष प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के बारे में कौन सा साक्ष्य ग्रहण किया जाये और किसे अस्वीकार किया जाये इसका निर्धारण करने का अधिकार माध्यस्थम् को है न कि पंचाट की वैधता की जाँच करने वाले न्यायालय को

किसी साक्ष्य की ग्राह्यता के प्रश्न पर विचार करते समय माध्यस्थम् को चाहिये कि वह न्याय व निष्ठापूर्वक विचार करे और यदि इस आधार पर लिये गये साक्ष्य के विषय में गलत निर्णय ले लेता है तो वह कदाचार का दोषी नहीं माना जायेगा।

क्या माध्यस्थम् अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है ?-माध्यस्थम् के पक्षकारों द्वारा अपने दावे या बयान के पक्ष में यथा समान साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है , भले ही साक्ष्य अधिनियम की कठोर कसौटी का अनुपालन एवं अनुसरण आवश्यक नहीं है। दोनों

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

माध्यस्थम विधि

पक्षकारों की सुनवायी के बाद यदि माध्यस्थम् किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचने में असफल रहता है तो यह अतिरिक्त साक्ष्य (Additional evidence) की माँग कर सकता है।

लालचन्द बनाम **देवराज**के वाद में एक पक्षकार के निवेदन पर अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति माध्यस्थम् द्वारा नहीं दी गई तो इसे कदाचार के रूप में समझा गया। जब तक पंचाट तैयार करके माध्यस्थम् उस पर हस्ताक्षर नहीं करता है तब तक अधिकारहीन नहीं होता है , इसलिये उसके द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य ग्रहण किया जा सकता है। - आयरलैण्ड के मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई कर लेने के पश्चात् मध्यस्थ ने उन्हें लिखा कि विवाद बिन्दु के निस्तारण हेतु वह कुछ और अतिरिक्त साक्ष्य चाहता है। मुख्य सुनवाई के पश्चात् एक पक्षकार कुछ अतिरिक्त साक्ष्य देने के लिये उद्यत हुआ किन्तु दूसरे पक्षकार द्वारा उसे ऐसा करने से रोक दिया गया। बिना अतिरिक्त साक्ष्य के भी माध्यस्थम् के पंचाट दे दिया, किन्तु उसने यह भी लिख दिया कि अतिरिक्त साक्ष्य के अभाव में पंचाट तैयार हुआ है। वह पंचाटअपास्त कर दिया गया और न्यायालय ने उसे विप्रेषित (Remitted) करके पुनः विचार करने तथा पक्षकारों के इच्छानुसार अतिरिक्त साक्ष्य लेने को निर्देशित किया।

यदि समुचित पंचाट हेतु किसी मामले में साक्षी के द्वारा माध्यस्थम् अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने में आनाकानी की जा रही हो तो न्यायालय की सहायता से (माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 27) उसे समन भेजकर बुलाया जा सकता है। न्यायालय में इस प्रकार का आवेदन करते समय माध्यस्थम् के द्वारा निर्गत एक प्रमाणपत्र भी संलग्न किया जायेगा जिसमें उस साक्षी की अनिवार्यता का उल्लेख विद्यमान होगा। इस प्रकार का प्रावधान पुराने माध्यस्थम् अधिनियम 1940 की धारा 43 में भी विद्यमान था। अतः निष्कर्ष यह है कि पंचाट के लिये यदि कोई प्रमुख साक्ष्य प्रपत्र आवश्यक हो तो बिना उस प्रपत्र के दिया गया अनुमानित पंचाट (Speculaid award) समझा जायेगा जो अवैध एवं अनुचित होगा।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Arbitration and Conciliation Act, 1996 Unit-1

माध्यस्थम विधि

PGS National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

माध्यस्थम विधि

प्रश्न ३ मध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम १९९६ कि प्रमुख विसेश्तयो का वर्नन करो

उत्तर ३**विवादों के उपादान पर लागू नियम-**

(1) जहां माध्यस्थम् का स्थान भारत में स्थित है, वहाँ

(क) एक अन्तर्राष्ट्रीयवाणिज्यिकमाध्यस्थम् से भिन्न एक माध्यस्थम् में , माध्यस्थम् अधिकरणभारत में अधिष्ठायी विधि के अनुसार माध्यस्थम् के समक्ष प्रस्तुत किये गये विवाद काविनिश्चय करेगा ;

(ख) अन्तर्राष्ट्रीयवाणिज्यिकमाध्यस्थम् में

(i) माध्यस्थम् अधिकरण विवाद के सार पर लागू होने के रूप में पक्षकारों द्वारा नाम निर्दिष्टविधि के नियम के अनुसार विनिश्चय करेगा ;

(ii) विधि के पक्षकारों के द्वारा किसी नाम निर्देशन या दिये गये देश की विधिक प्रणाली का अर्थान्वयन जब तक अन्यथा अभिव्यक्त नहीं किया जाता, तब उस देश के अधिष्ठायी विधि को निर्देशित प्रत्यक्षतः निर्देशित करने के रूप में किया जायेगा और न कि इसके विधायीनियमों के स्वयमेव के संघर्ष का।

(iii) पक्षकारों के द्वारा खण्ड (क) के अधीन विधि का किसी पदनाम के असफल हो जाने पर यहविवाद की प्रस्तुत की गयी सभी चतुर्दिक परिस्थितियों का समुचित होना मानता है।

(2) माध्यस्थम् अधिक स्वेच्छया या सद्भावपूर्वक सुलहकर्ता की तरह (Ex aequo et bono or as amiahcompositeur) मामले का विनिश्चय मात्र तभी करेगा यदि पक्षकारगण वैसा करने के लिये इसे अभि तौर पर अधिकृत कर चुके हैं।

(3) सभी मामलों में , माध्यस्थम् अधिकरण, संविदा की शर्तों के अनुसार विनिश्चय करेगा और संव्यवहार पर लागू हाने वाले व्यवसाय की रीति को ध्यान देने में रखेगा)

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

माध्यस्थम विधि

माध्यस्थम् में प्रयुक्त विधि (Law Applicable in Arbitration)-विवाद निस्तारण में न्यायालय हो या निर्णायक हो, पक्षकारों के अधिकार व कर्तव्य के विनिश्चय करने हेतु विधिक आधार पर धरातल निर्धारित करना पड़ता है। माध्यस्थम् विधि की व्यापकता एवं क्षेत्र विस्तार राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पटल तक विस्तारित है। विभिन्न देश व परिवेश में विधि के नियम भी अलग-अलग होते हैं। इसलिये किसी भी माध्यस्थम् अधिकरण के लिये प्रत्येक निर्देशित मामले में सर्वप्रथम यह विचार करना पड़ता है कि सम्बन्धित पक्षकारों के सम्बन्ध में कौन सी विधि व कौन सा नियम लागू किया जायेगा। इस समस्या के निराकरण हेतु माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम की धारा 28 में देशी माध्यस्थम् (Domestic Arbitration) तथा अन्तर्राष्ट्रीयवाणिज्यिकमाध्यस्थम् (International Commercial Arbitration) के सम्बन्ध में अलग-अलग सार वस्तु के लिये प्रयोज्य नियम का उल्लेख किया गया है। सर्वप्रथम धारा 28 (1) (क) के प्रावधान घरेलू या देशी माध्यस्थम् के सम्बन्ध में है , जिनके सन्दर्भ में भारत की सारवान विधि (Substantive Law) अधिकरण द्वारा लागू की जायेगी। अन्तर्राष्ट्रीयवाणिज्यिकमाध्यस्थम् के लिये धारा 28 (1) (ख) में दोहरे प्रयोज्य विधि की सम्भावना को इंगित किया गया है। सर्वप्रथम अधिकरण उस विधि का अनुसरण करेगा जिस विधि को माध्यस्थम् के पक्षकारों ने स्वत: नामोदिष्ट (Designated) कर दिया हो, किन्तु जहाँ पक्षकारों के मध्य इस प्रकार की कोई सहमति न हुयी हो , तो अधिकरण उस विधि का अनुसरण करेगा जो विवाद की परिस्थितियों में उचित हो। जहाँ तक पक्षकारों द्वारा स्वत: सारवान विधि के सम्वरण का प्रश्न है , उसके अनुसार किन्हीं दो देशों के पक्षकार करार द्वारा तीसरे देश के सारवान विधि का चयन माध्यस्थमिनिस्तारण में कर सकते हैं। यदि दो देशों के नागरिक किसी तीसरे राष्ट्र के क्षेत्रीय परिक्षेत्र में कारोबार करते हैं, तो इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है जहाँ माध्यस्थम् विधि का आधार उसी विधि को चुना जाये जहाँ वाद कारण उत्पन्न

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

हुआ है। सामान्य न्यायालयीय मामलों में भी संविदा का परिपालन किये जाने का तीन आधार होता है

(1) जहाँ प्रतिवादी निवास करता हो,

(2) प्रतिवादी अपना कारोबार करता हो, या

(3) जहाँ पर वाद कारण उत्पन्न हो।

जैकब्समार्कसएण्ड कं० बनाम **क्रेडिटलियोनस** के वाद में बहुत पहले ही सम्प्रेक्षित किया गया था कि माध्यस्थम् विधि में अन्तर्राष्ट्रीयवाणिज्यिक विवाद को हल करने के लिये पक्षकारों द्वारा यदि स्पष्ट रूप से सारवान विधि का उल्लेख न किया गया हो , तो उसका आशय उनके संविदा की परिस्थितियों से सुनिश्चित करना चाहिये। ऐसा करने में व्यापारिक सुविधा एवं करार की भाषा सहायक होगी।

अन्तर्राष्ट्रीयमाध्यस्थम् एवं विधियों का अन्तर्विरोध (International Arbitration and Conflict of Laws)-प्रायः अन्तर्राष्ट्रीयवाणिज्यिकमाध्यस्थम् के मामलों में विधियों के अन्तर्विरोध (Conilict of Laws) की समस्यायें उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिये किसी भारतीय द्वारा किसी अमेरिकन व्यापारी के साथ यदि वाणिज्यिक संविदा लन्दन में हुयी हो जिसका अनुपालन भारत में करना हो , तो ऐसी परिस्थितियों में तीनों देशों के न्यायालय के समक्ष विधिक अन्तर्विरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह समस्या दो प्रकार से उत्पन्न हो सकती है , पहला यह कि किसी देश के न्यायालय के द्वारा विवाद निपटाये जाने की अधिकारिता है और दूसरा यह कि कौन सी निश्चित विधि के अन्तर्गत विवाद निर्णीत किया जाये। इस मामले में डायसी ने यह विचार व्यक्त किया है2 कि जहाँ पक्षकार स्पष्ट या विवक्षित रूप से समुचित सारवान विधि का निर्धारण न किये हों , तो उस दिशा में सारवान विधि का निर्धारण न्यायालयों को नसी प्रकार विचार कर के निश्चित करना चाहिये जैसा एक न्यायिक व तार्किक व्यक्ति (Just and Pronsonable person) के मस्तिष्क द्वारा किया जा सकता है।)

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

माध्यस्थम विधि

धनराज मल बनाम **श्याम जी** के वाद में न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया है कि अन्तर्राष्ट्रीयवाणिज्यिकमाध्यस्थम् में पक्षकारों के द्वारा निर्धारित की गयी विधि का अन्तर्विरोध (Conflict) होने पर माध्यस्थम् अधिकरण के द्वारा समुचित रूप से सोच-समझकर अपनायी जाने वाली विधि का निर्धारण करना चाहिये। विदेशी विधि की अधिकारिता सम्बन्धी माध्यस्थम् खण्ड के अन्तर्गत यदि किसी विदेशी विधि को लागू किया जाना है, तो अपने राष्ट्र की विधि से उत्पन्न अन्तर्विरोध को समन्वित किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार के समन्वय किये जाने की कसौटी यह है कि

(1) अपनायी जाने वाली विदेशी विधि उन देशों की विधि से प्रतिकूल नहीं होनी चाहिये जिनदेशों के पक्षकार व नागरिक हों,

(2) विदेशी विधि को लागू करने में यह भी देखा जाना चाहिये, कि विदेशी अधिकारिता वालेखण्ड के फलस्वरूप पक्षकार के अपने देश के द्वारा निर्धारित दायित्व में ह्रास न हो।

गैस अथार्टीआफइण्डिया बनाम **स्पाईकेपेग**के वाद में संविदा स्थान व कार्यवाही स्थान (Lex Loci and Lex fori) के सिद्धान्त के पालन का विचार व्यक्त किया गया है। इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अन्तर्राष्ट्रीयवाणिज्यिक विवाद के लिये माध्यस्थम् हेतु उपयुक्त विधि का निर्धारण

(1) करार का स्थान

(2) माध्यस्थम् का स्थान तथा

(3) माध्यस्थम् खण्ड की वैधता को देखकर किया जाना चाहिये।

नेशनल थर्मल पावर का बनाम **सिंगर कं०** के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अन्तर्राष्ट्रीयवाणिज्यिक विवाद में समुचित विधि (Proper Law) के निर्धारण के विषय में लार्डहरशेल के वक्तव्य के निम्न उद्धरण को भी उद्धृत किया है जिसे उन्होंने **हेमलिनएण्ड कं०** बनाम **टलिस्कटडिस्टिलरी** के वाद में कहा था

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

माध्यस्थम विधि

"इस वाद में तथा इस प्रकार के सभी वादों में पूरी संविदा का अवलोकन करके पक्षकारों के आशय के अनुकूल विधि का निर्धारण किया जाना चाहिये। संविदा के निर्वचन द्वारा यह पता लगाया जाना चाहिये कि संविदा में उद्भूत अधिकारों का विनिश्चय करने हेतु पक्षकरों के द्वारा प्रयुक्त पदावली से किस विधि को आशयित (intended) किया गया था।"

इसी प्रकार प्रोफेसरडॉयसी ने भी यह अभिमत प्रगट किया है कि माध्यस्थम् करार से उद्भूत विवाद के निर्धारण हेतु वही विधि लागू होगी जो कि संविदा के लिये लागू होती है। अतः निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि माध्यस्थम् करार की प्रकृति भी संविदा के समान होने के कारण संविदा को उपयुक्त विधि करार से उद्भूत होने वाले समस्त संव्यवहारों एवं माध्यस्थम् अधिकरण के कार्यवाही के लिये लागू होगी क्योंकि यह 'विधियों के अन्तर्गत' समाप्त करने हेतु एक सर्वमान्य सिद्धान्त है।

लोकनीति का आधार (Ground of Public Policy)- जहाँ संविदा के अर्थान्वयन से करार का आशय पता करना सम्भव न हो तो वहाँ लोकनीति के आधार पर सद्भावनापूर्वक विधि का निर्धारण करके पंचाट दिया जाना चाहिये। यद्यपि कि जानराइट ने यह भी विचार बीटा फूट प्रोडक्शन बनाम यूनुससिविंगकं 04 के वाद में व्यक्त किया है कि जहाँ पक्षकारों की संविदा से विधि के चयन का आशय स्पष्ट हो , तो वहाँ अभिव्यक्त आशय सद्भावनापूर्ण एवं विधिमान्य होना चाहिये और यह भी कि उनका चुनाव लोकनीति के आधार पर हटाने योग्य नहीं होना चाहिये।

उपचारी विधि (Curial Law)-जिस प्रकार न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया में सारवान एवं प्रक्रियात्मक विधि की मान्यता होती है , उसी प्रकार माध्यस्थम् विधि में भी न्यायिक एवं प्रक्रिया के साथ प्रक्रिया विधि के अनुसरण की उपधारणा होती है, भले ही वह सीमित व ऋजुता पर आधारित हो। उपचारी विधि (Curial Law) से तात्पर्य उस विधि से है जो मध्यस्थ की कार्यवाही (Conduct of Arbitral Proceedings) को नियमित करती है। इस प्रकार निर्देश के संचालन की रीति को माध्यस्थम् की उपचारी

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

माध्यस्थम विधि

विधि की संज्ञा दी गयी है। अधिकरण के कर्तव्य शक्ति एवं साक्ष्य प्रक्रिया का समन्वित स्वरूप इसमें सम्मिलित होता है

"माध्यस्थम् की प्रक्रिया यह निर्धारित करती है कि मध्यस्थों की नियुक्ति किस प्रकार की जायेगी, (जहाँ तक कि इसका उल्लेख माध्यस्थम् करार में न किया गया हो) और किस प्रकार मध्यस्थों के अधिकारिता को समाप्त किया जा सकेगा। किस विधि के अनुसार पंचाट दिया जायेगा , और क्या अधिकरण को न्याय तथा ऋजुता या सुलह कार्य 'ex aequo et bono or as amiable compositeur' के प्रयोग करने का अधिकार पक्षकारों ने प्रदान किया है.....।"

उसमें इसका भी विनिश्चय अन्तर्निहित है कि क्या पक्षकारों की व्यक्तिगत सुनवाई होगी कि नहीं होगी तथा पक्षकारों को पंचाटप्रवर्तन की चुनौती का न्यायिक उपचार विदेशी न्यायालय द्वारा उपबन्ध होने की सम्भावना है कि नहीं तथा किस प्रकार पंचाट के विरुद्ध न्यायिक उपचार को अपवर्जित किया गया है , आदि। 4 यदि पक्षकारों के मध्य उपचारी विधि (Curial Law) के विषय में कोई करार नहीं किया गया है तो इसकी उपधारणा की जा सकेगी कि पक्षकारों का आशय स्थानीय विधि को अपनाये जाने के लिये रहा होगा , अर्थात् जहां पंचाट दिया जा रहा है , उस स्थानीय विधि की प्रक्रिया मान्य होगी। उपचारी विधि की संकल्पना केवल माध्यस्थम् की कार्यवाही के दौरान ही की गई है और पंचाट देने के बाद यह संकल्पना समाप्त हो जाती है।

समिटोमोहैवीइण्डस्ट्रीजलि. बनाम **ओ० एन० जी० सी० लि 0**के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि वैध पंचाट की समाप्ति के पश्चात् अधिकरण की कार्यवाही एवं अधिकारिता समाप्त हो जायेगी, उसके पश्चात् अधिकरण का अधिकार और कर्तव्य समाप्त हो जाता है तथा अधिकरणी निवृत्त (Functus Officio) हो जाता है।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

माध्यस्थम विधि

इस प्रकार उपचारी विधि (Curial Law) जो माध्यस्थम् अधिकरण की प्रक्रिया को लागू होती है वहां पंचाट लागू किए जाने वाली विधि से भिन्न हो सकती है।

स्टील अथार्टीआफइण्डियालि. बनाम **हिन्दमेटल्स**के वाद में माध्यस्थम् करार के अन्तर्गत इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया था कि पक्षकारों के बीच उत्पन्न विवाद का निस्तारणकिस देश की विधि में किया जायेगा। अन्तर्राष्ट्रीय विक्रय के इस माल सम्बन्धी मामले में यूनाइटेड स्टेट्स के निमित्त माल परिदत्त किया जाना था। माध्यस्थम् करार में लन्दनमाध्यस्थम् खण्ड का उद्धरण संविदा में दिया गया था , न्यायालय ने माध्यस्थम्पंचाट हेतु अंग्रेजी विधि का सम्वरण करना श्रेष्ठ समझा। इस विनिश्चय को न्यायालय ने उचित माना।

स्वेच्छया या सद्भावपूर्वक सुलहकर्ता (Ex aequo et bono or as amiable compositeur)-एक्सईक्योएटबानो या ऐमियेबुलकॉम्पोजीट्योर [धारा 28 (2)]-माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम की धारा 28 (2) में माध्यस्थम् अधिकरण के निमित्त यह आदर्श मानदण्ड स्थापित किया गया है कि जब अधिकरण माध्यस्थम्पंचाट हेतु विचारणकरे , तो उसे अपनी इच्छा से सद्भावपूर्वक सुलहकर्ता की भूमिका तब निभानी चाहिये , जब ऐसा करने के लिये पक्षकारों ने अभिव्यक्त रूप से अधिकृत किया हो। सामान्य रूप से माध्यस्थ व सुलहकर्ता के मध्य भेद होता है। माध्यस्थम् जिस सीमा तक सारवान एवं प्रक्रियात्मक विधि की परिधि में बंध रहता है उसकी तुलना में सुलह कर्ता मुक्त एवं स्वछन्द रहता है। यद्यपि कि माध्यस्थ की विधिक रेखा से हटकर परिनिर्धारण को प्रोत्साहन देने के लिये अधिकृत होते हैं, तथापि यह उपधारा इस पर प्रतिबन्ध का सृजन करती है। इसीलियेपक्षकारों की स्पष्ट अनुमति एवं सहमति अपेक्षित की गयी है।

पंचाट में व्यवसायिक रीति के प्रयोग का आधार-धारा 28 (3) में यह उपबन्धित है कि अन्तर्राष्ट्रीयवाणिज्यिकमाध्यस्थम् के मामले में मध्यस्थगण व्यापारिक प्रथाओं एवं रूढ़ियों को ध्यान में रखकर पंचाट देंगे। इस उपधारा में भी सम्बन्धित संविदा की शर्तों

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

का अनुपालन किया जाना अनिवार्य रखा गया है किन्तु सम्बन्धित संव्यवहार में प्रचलन और प्रथा को भी समुचित महत्व देंगे।

यूनियन आफइण्डिया बनाम **मैकडोनलडगलस कार्पो०** के वाद में सारवान एवं प्रक्रिया विधि के निर्धारण सम्बन्धी प्रश्न पर विचार किया गया था। उस संविदा के अन्तर्गत एक पक्षकार सेवा आपूर्ति के लिये भारतीय विधि के अनुसार शासित होने का करार किया था। माध्यस्थम् खण्ड के द्वारा यह उपबन्धित था कि माध्यस्थम् का संचालन भारतीय माध्यस्थम् अधिनियम 1940 में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार होगा तथा माध्यस्थम् का कार्यस्थललन्दन में होगा, जब इस प्रश्न पर विचार किया गया कि क्या माध्यस्थम् कार्यवाही भारतीय प्रक्रिया विधि से संचालित किया जाये? न्यायालय ने यह निर्णीत किया कि वाणिज्यिक पहलुओं के लिये व माध्यस्थों में लागू होने वाली उचित विधि भारतीय विधि होगी। चूंकि संविदा में माध्यस्थम् की कार्यवाही भारतीय अधिनियम के अनुसार संचालित करने के लिये निश्चित की गयी थी इसीलिये भारतीय विधि की अन्तर्निहित प्रक्रिया उस सीमा तक अपनायी जायेगी , जब तक अंग्रेजी माध्यस्थम् प्रक्रिया विधि से असंगत न हो।

बहुमत का निर्णय (Majority decision)-जिस प्रकार न्यायालयों में खण्डपीठ के निर्णयों का मूल्यांकन करते हुये बहुमत और अल्पमत की विचारधारा की अवधारण की गयी है, उसी के समान जहाँ माध्यस्थम् निर्णय एक से अधिक मध्यस्थों द्वारा दिया गया है, तो निर्णायकों के मध्य मतभेद होना स्वाभाविक है। ऐसी परिस्थिति में पंचाट की वैधता बहुमत के निर्णय के सिद्धान्त पर मान्य की गयी है। मध्यस्थों की नियुक्ति सम्बन्धी जो प्रावधान धारा 10 में उपबन्धित है उसके अनुसार विषम संख्या के रूप में एक से अधिक अर्थात् तीन , पाँच, सात आदि सदस्य हो सकते हैं , तथा उन सभी मध्यस्थों की एक राय बनने में विसमता भी हो सकती है। इसलिये सम्पूर्ण माध्यस्थम् कार्यवाही और मतभेद जनितपंचाट को भी ग्राह्य कर लिया गया है। धारा 29 के उपधारा (1) में इसी वस्तु स्थिति का संकेत किया गया है , और इसी कारण से धारा

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

10 में विषम संख्या युक्त अधिकरण की अवधारणा भी की गयी है। बहुमत की विचारधारा सर्वसम्मत की सहचरी होती है , इसलिये बहुमत के सिद्धान्त की मान्यता माध्यस्थम्पंचाट के सन्दर्भ में भी अपनायी गयी है।

यह उल्लेखनीय है कि पुराने (निरसित) माध्यस्थम् अधिनियम 1940 के अन्तर्गतमाध्यस्थम् अधिकरण के गठन में सम और विषम संख्या का निर्देश नहीं दिया गया था। इसीलियेमाध्यस्थम् अधिकरण में सम संख्या वाले मध्यस्थों में बराबरी का मतभेद होने पर अधिनिर्णायक (Umpire) नियुक्त किया जाता था , जिसे नयेमाध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम में अंगीकृत नहीं किया गया है। अब माध्यस्थम् अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer) पुराने अधिनिर्णायक की भाँति अधिमानी विनिश्चय का अधिकार नहीं रखता , बल्कि बहुमत के निर्धारण में वह भी एक सामान्य सदस्य की भाँति होगा , उसे केवल उपधारा (2) में प्रक्रिया के मामले में रूपरेखा तय करने हेतु अधिकृत किये जाने का प्रावधानित किया गया है।)

माध्यस्थम् की कार्यवाही में मध्यस्थों की उपस्थिति आवश्यक -जब किसी माध्यस्थम के अन्नत एक से अधिक सदस्य नियुक्त किये जाते हैं , तो यह अपेक्षित है कि सभी सदस्य मामले की सुनवाई के समय उपस्थित रहे और आपसी विचार विमर्श में सहयोगी बनें। अधिकरण के प्रत्येक बैठक की तिथि कोउन्हें उपस्थित होना चाहिये तथा साक्ष्य के मूल्यांकन एवं बहस के कार्यवाहियों का मूल्यांकन करना चाहिये। ऐसी प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे के परस्पर सहयोग से न्यायिक विनिश्चय व मामले के निर्णय से माध्यस्थम्पचाट की गुणात्मक वैधता होती है। इसीलिये मध्यस्थ की अनुपस्थिति में माध्यस्थम् की सुनवाई किये जाने से पंचाट को दोषपूर्ण और अवैध मान लिया जाता है ।। इसीलिये**मगन लाल गंगा राम राठौर**बनाम **रामजी** तथा **बद्रीलाल** बनाम **लाख्या** के वादों में यह सम्प्रेक्षित किया गया है कि माध्यस्थम् अधिकरण से यदि कोई एक मध्यस्थ काम करने से इन्कार कर देता है अथवा अपना नाम वापस ले लेता है , तो उसके स्थान पर नये मध्यस्थ की नियुक्ति करके ही पंचाट दिया जाना चाहिये।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

माध्यस्थम विधि

प्रतिस्थापितमाध्यस्थम् सदस्य के सम्बन्ध में पुराने अधिनियम में भी प्रावधान था। (धारा 8) और नये अधिनियम में भी धारा 11 के अन्तर्गत मुख्य न्यायाधीश के माध्यस्थम् से प्रतिस्थापित (Substituted) सदस्य की नियुक्ति की जा सकती है। इन सभी प्रावधानों का भी यही मन्तव्य है कि माध्यस्थम् अधिकरण में नियुक्त किये गये सभी सदस्य विनिश्चय के सभी कार्यवाहियों में सक्रिय योगदान प्रदान करें। अन्तिमपंचाट पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर करने की कार्यवाही को भले ही शिथिल किया जा सकता है, लेकिन पंचाट के निष्कर्ष पर पहुँचने के लिये सभी मध्यस्थों के मध्य विचारों के आदान-प्रदान की शर्त आवश्यक है। यदि किसी माध्यस्थम् करार में आपसी सहमति से यह तय किया गया हो, कि किसी एक मध्यस्थ की अनुपस्थिति में भी माध्यस्थम् कार्यवाही संचालित रहेगी , तो उस दशा में एक या अधिक बैठकों में किसी एक सदस्य के अनुपस्थिति से पंचाट अवैध नहीं माना जायेगा।

माध्यस्थम् अधिकरण के सदस्यों में सहमति एवं असहमति- एम० सुब्रमनिया बनाम चन्द्रशेखर के वाद में माध्यस्थम् अधिकरण के तीन सदस्यों में से एक सदस्य पंचाट के निर्णय से सहमत नहीं था , उसने पंचाट के विरुद्ध विसम्मति (Dissent) प्रदर्शित करते हुये अपना हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया तथा शेष दो मध्यस्थों ने पंचाट पारित करके अपना हस्ताक्षर कर दिया। जब उसके वैधता की चुनौती न्यायालय में दी गयी तो न्यायालय ने यह उस पंचाट को अपास्त करने से इन्कार कर दिया। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उक्त पंचाटपूर्णत: वैध था , क्योंकि माध्यस्थम् की कार्यवाहियों में सहभागी होने के पश्चात् केवल पंचाट पर हस्ताक्षर न करना माध्यस्थम् की कार्यवाही को अवैध नहीं बनायेगा

पीठासीन मध्यस्थ द्वारा प्रक्रिया निर्धारण -सामान्य रूप से माध्यस्थम् करार के पक्षकारमाध्यस्थम् की प्रक्रिया का उल्लेख करार में ही उद्धत कर देते हैं। विवाद निस्तारण की प्रक्रिया सूक्ष्म और विस्तृत दोनों प्रकार की अपनायी जा सकती है। जहाँ प्रक्रियात्मक पहलू का प्रायोगिक पक्ष है, उसे सुगम बनाने के लिये, इसे धारा 29 (2)

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

में एक निदेशात्मक प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार जहाँ माध्यस्थमअधिकरण में एक से अधिक सदस्य हों , तो सर्वसम्मति से प्रक्रियात्मक पहलू के निर्धारण करने की अधिकारिता पीठासीन अधिकारी को प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिये सम्पूर्ण सुनवाई के पश्चात्पंचाट का प्रारूप तैयार करने हेतु सम्मिलित रूप से पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार करने का निर्णय किया जा सकता है। जब पीठासीन अधिकारी इस प्रकार से प्रक्रिया निर्धारण के लिये अधिकृत हो जाता है , तो उसके बाद भी वह मामले की सुनवाई और साक्ष्य अकेले नहीं ले सकता है, क्योंकि माध्यस्थम् अधिकरण के सभी सदस्यों द्वारा संयुक्त सुनवाई करना माध्यस्थम् विधि का आधारभूत सिद्धान्त है। पंचाट की वैधता मध्यस्थों के सम्मिलित विचारण की प्रक्रिया पर आधारित होती है। मगन लाल गंगा राम राठौर बनाम रामा जी बोन्दार जी के वाद में यह अवधारित किया गया था कि माध्यस्थम् अधिकरण का विनिश्चय पुराने अधिनियम के धारा 10 (2) व 10 (3) में बहुमत दिया गया पंचाट वैध एवं बाध्यकारी होगा, किन्तु न्यायालय ने यह भी सम्प्रेक्षित किया कि सभी मध्यस्थों को माध्यस्थम् की पूरी कार्यवाही में सम्मिलित होना चाहिये। इस मामले में सरपंच कन्हैया लाल माध्यस्थम् अधिकरण का एक सदस्य था जो अधिकरण के 10, 12 बैठकों में से केवल तीन बैठकों में सम्मिलित हुआ था, वह भी अनियमित रूप से और जब अन्तिम रूप से पंचाट तैयार किया जा रहा था तो वह उस समय इन्दौर चला गया था। उसने शेष सदस्यों द्वारा पंचाट तैयार करने के लिये कह दिया। इस प्रकार के उदासीन सदस्य की भूमिका युक्त पंचाट को वैध नहीं माना जा सकता। जहां पक्षकारों में इस प्रकार का करार किया गया हो कि वे पीठासीन अधिकारी के द्वारा प्रदत्त पंचाट को स्वीकार कर लेंगे , तो उस दशा में भी पीठासीन अधिकारी अल्पमत होने पर अन्य सदस्यों को उकसाकर बहुमत बनाने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि यह प्रक्रियात्मक दोष समझा जायेगा।

परिनिर्धारण-(1) विवाद के तय किये जाने के लिये प्रोत्साहित करना एक माध्यस्थम् अधिकरण के लिए एक माध्यस्थम् करार के साथ बेमेल नहीं होता है और पक्षकारों के

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

माध्यस्थम विधि

करार के साथ माध्यस्थम् अधिकरण चिंतन , सुलह या निपटान को प्रोत्साहन देने के लिये माध्यस्थम् कार्यवाही के दौरान किसी भी समय अन्यथा प्रक्रियाओं का भी प्रयोग कर सकता है।

(2) यदि माध्यस्थम् कार्यवाही के दौरान पक्षकार विवाद को तय करते हैं , तो माध्यस्थम् अधिकरण कार्यवाही को समाप्त कर देगा , यदि पक्षकारों द्वारा निवेदन किया जाय और माध्यस्थम् अधिकरण के द्वारा उस पर कोई आपत्ति नहीं की जाती , तो एक माध्यस्थम्पंचाट के प्ररूप में परिनिर्धारण अभिलेख शर्तों पर सहमति जाती।

(3) किये गये करार की शर्तों पर एक माध्यस्थम्पंचाट धारा 31 के अनुसार पारित किया जायेगा और वह कथन करेगा कि यह एक माध्यस्थम्पंचाट है।

(4) किये गये करार के शर्तों पर एक माध्यस्थम्पंचाट का स्तर एवं प्रभाव विवाद के सार के किसी अन्य माध्यस्थम्पंचाट के समरूप होगा।)

रूपरेखा

(1) परिनिर्धारण (समझौता)

(2) परिनिर्धारण करार

(3) परिनिर्धारण में माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा आपत्ति।

परिनिर्धारण (समझौता/ Settlement)-माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम की धारा 30 UNCITRAL के आदर्श विधि के अनुच्छेद 30 पर आधारित है। इसके अन्तर्गतमाध्यस्थम् अधिकरण को अधिकृत किया गया है कि पक्षकारों के विवाद को उनके आपसी सहमति के आधार पर निर्णय करके पंचाट को तैयार करे। परिनिर्धारण का प्रसंग उपबन्धित करके माध्यस्थम्पंचाट को सन्तुलित , सार्थक एवं शीघ्र विवाद निस्तारण की अनुकल्पी व्यवस्था के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया। इसमें माध्यस्थम् की कार्यवाही पक्षकारों के लिये अत्यधिक तुष्टिकर होती है। सुलह और समझौता में भ्रम नहीं करना चाहिये। धारा 30 में वर्णित समझौता या

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

माध्यस्थम विधि

परिनिर्धारण का स्वरूप इस अधिनियम के तृतीय भाग में उपबन्धित सुलह (Conciliation) में भिन्नता होती है। इसकी समीक्षा आगे की गयी है। जब माध्यस्थम की कार्यवाही के दौरान पक्षकारगण अपने विवाद का निपटारा करने का मार्ग ढूढ़ लेते हैं,

परिनिर्धारण करार-धारा 30 में वर्णित परिनिर्धारण, पंचाट एवं अन्य परिनिर्धारण करार के मध्य अजर किया जा सकता है। जब माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा सहमत शर्तों पर पंचाट तैयार करके लिपिबद्ध करके इस अधिनियम की धारा 31 के अनुरूप हस्ताक्षरित कर दिया जाता है तो इसे परिनिर्धारणपंचाट कहा जायेगा। परन्तु यदि सुलह द्वारा पक्षकारों ने अपने विवाद का परिनिर्धारण या समझौता कर लिया हो लेकिन उसे पंचाट के रूप में लिपिबद्ध किये जाने हेतु माध्यस्थों से अनुरोध न किया गया हो , तो उसे मात्र परिनिर्धारण करार (Settlement Agreement) माना जायेगा, जिसका प्रसंग इसी अधिनियम की धारा 73 में किया गया है। धारा 30 और धारा 73 के प्रावधान में अन्तर यह है कि धारा 30 में कार्यवाही माध्यस्थम् अधिकरण के समक्ष की जाती है और धारा 73 की कार्यवाही में परिनिर्धारणसुलहकर्ता द्वारा की जाती है (By conciliator)

परिनिर्धारण में माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा आपत्ति- माध्यस्थम् अधिकरण की धारा 30 के उपधारा (1) के अनुसार परिनिर्धारण को प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है ताकि अधिकरण के समय की बचत हो और पक्षकारों में स्थायी समरसता का संचार हो। तथापि उपधारा (2) के अन्तर्गतपरिनिर्धारण के निवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत का विकल्प भी न्यायाधिकरण के विवेकाधीन प्रावधानित है। ऐसा इसलिये है ताकि परिनिर्धारण की परिधि माध्यस्थम् करार व निर्देशन के परिधि के भीतर हो। यदि परिनिर्धारण की शर्तों में माध्यस्थम् करार की शर्तों का उल्लंघन या अतिक्रमण होता है, तो उस दशा में अधिकरण द्वारा परिनिर्धारण पर आपत्ति किया जाना स्वाभाविक है। मध्यस्थों को प्रत्येक परिनिर्धारण की शर्तों पर पंचाट देने के लिये बाध्य नहीं किया

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

जा सकता। जब कोई पक्षकारपरिनिर्धारण या समझौता पर आधारित पंचाट पाने का निवेदन करता हो , तो अधिकरण उसकी प्रासंगिकता एवं वैधता पर विचार करने के लिये पूर्णत: अधिकृत है

PGS National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.